APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. न-20/असुरक्ष(976)/22-23 Dated: 06 JUNE 2025

Certified that the THE DOON YUDHISHTERA PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at MUNJAL ESTATE, RAMGARH, SHEESHAMBARA, SHIMLA BY PASS (address) comprised of .... one .... basement(s) and .... THREE FLOOR'S .... (upper floors) owned/ occupied by THE DOON YUDHISHTERA PUBLIC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 06 JUNE 2025 (date of inspection) in the presence of RAMASH KUMAR PAL (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes .... XIIth .... (X/ XII) With effect from 06 JUNE 2025 for a period of .... 03 (THREE).. year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1.
2.
3.
4.

Issued on 06 June 2025 (date of issue) at Dehradun .... (place)

*Strike out whichever is not applicable.

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी

Signature with Seal: .... सेलाकुई ....

Name : ISAM SINGH

Designation : FSSO

Name & Address of Department/ Office: Police Fire Station Selaqui

To

The Doon Yudhishtera Public School, Dehradun

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to ....

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांक: न–20/असुव्य (976)/22–23 दिनांक: सितम्बर 05, 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
द दून युधिष्ठर पब्लिक स्कूल
(THE DOON YUDHISTER PUBLIC SCHOOL)
मुंजाल इस्टेट शीशमबाड़ा शिमला बाई पास रोड़, सेलाकुई
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर .51972756 दिनांक 26.08.2022 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 02–09–2022 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 02–09–2022 के आधार पर आपके स्कूल हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 05–09–2022 से 04–09–2025 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/**Audit Report** प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

05/9/22

(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

मुख्यालय पुलिस महानिदेश उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याःडीजी–आठ–156 /2020(4) दिनांकः अक्टूबर 08 ,2020

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड।

विषयः– अग्निशमन एवं आपात सेवा की विभागीय वैबसाईट www.ukfireservices.com पर आनॅलाईन प्राप्त होने वाले अग्निशमन अनापत्ति सम्बन्धी आवेदनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे।

कृपया उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या:34 / XX-4 / 2020–01 (फायर) / 2016 दिनॉक 01–10–2020 के द्वारा अध्यक्ष उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून उत्तराखण्ड के पत्र दिनॉक 27–08–2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अवगत कराया है, कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण **दिनांक 22.03.2020 से 03.05.2020** तक सम्पूर्ण देश एवं उत्तराखण्ड राज्य में लॉकडाउन होने के फलस्वरूप अग्निशमन एव आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि में वृद्धि किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

निदेशानुसार उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 27–04–2020 के द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग से सम्बन्धित निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रो के नवीनीकरण किये जाने की वैधता अवधि माह मार्च 2020 से दिनॉक 30–06–2020 तक बढायी गयी थी। वर्तमान मे भी कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये **उक्त अवधि को दिनॉक 01–07–2020 से दिनॉक 31.03.2021 तक बढायी जाती है।** तदनुसार अपने अधीनस्थ मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

8/10/20

(एन0एस0 नपलच्याल)
पुलिस उपमहानिरीक्षक
अग्निशमन एवं आपात सेवा
उत्तराखण्ड देहरादून।

..., उत्तराखण्ड राज्य को अनुपालनार्थ।

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून

पत्रांक: न–20 / असुव्य (801) / 19–20 दिनांक: जुलाई 14, 2019

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक
द् दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल
(The Doon Yudhister Publc School)
मुंजाल इस्टेट रामगढ़ शीशमबाड़ा शिमला बाई पासं
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक ... 75813265 दिनांक 12.07.2019 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 13–07–2019 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 13–07–2019 के आधार पर आपके स्कूल हेतु दिनांक 14–07–2019 से 13–07–2020 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरण सम्बन्धी ... के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र ... कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र ... निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर ... लिया जाना अनिवार्य होगा। ... अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ... अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

14.07.19

(... राणा)
... अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–9/सीएफओ(स्कू0म0मा0)/18– D-Po-113 दिनांकः जुलाई 23, 2018

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
द् दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल
(The Doon Yudhishtera Public School)
मुंजाल इस्टेट रामगढ शीशमबाडा शिमला बाईपास
जनपद–देहरादून।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड़ की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर–23257580 दिनांक 05.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा द् दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल मुंजाल इस्टेट रामगढ शीशमबाडा शिमला बाईपास, जनपद देहरादून पर शैक्षणिक भवन (स्कूल) की अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन (स्कूल) का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 12.07.2018 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. मिरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से वर्तमान मे कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन आसानी से पहुॅच सकता है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन भू–तल के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल तक निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल हेतु दो सीढियो का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन मे 70 हजार ली0 क्षमता के भूमिगत फायर स्टैटिक टैक के पास 10 एच0पी0 के फायर पम्प का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन पर 02 ग्राउण्ड यार्ड हाईड्रेन्टो के साथ भवन के प्रत्येक तल पर हौजरीलो (कुल 12 अदद्) का प्राविधान किया गया है।
7. निरोक्षण को तिथि को प्रश्नगत भवन मे 08 अदद् मैनुअल कॉल प्वाईटो का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन मे 20 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है जिनको उचित स्थान पर स्थापित किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
10. प्रश्नगत स्कूल भवन में निकास मार्गों/सैट बैक का प्राविधान किया गया है। निकास मार्गों/सैट बैक को सदैव अवरोध रहित रखने हेतु स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया।
11. प्रश्नगत स्कूल भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
12. प्रश्नगत स्कूल भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
13. प्रश्नगत स्कूल भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–101, 0135–2698560 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित किये जाने हेतु प्रबन्धक/स्वामी को निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर द् दून युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल मुंजाल इस्टेट रामगढ शीशमबाडा शिमला बाईपास, जनपद देहरादून पर शैक्षणिक भवन (स्कूल) में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत शैक्षणिक भवन (स्कूल) में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक को उक्त शैक्षणिक भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र अवश्य लेना होगा। साथ ही प्रश्नगत शैक्षणिक भवन (स्कूल) में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

23.07.18

(एस0के0 राणा)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।

For The D... RESIDENTIAL & DAY SCHOOL (AJSS)

GAYATRI MUNJAL

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी देहरादून

पत्रांक:-स्कूल0नि0/एफएसओ/अ0स0व्य0/16 दिनांक अक्तूबर 13, 2016

सेवा में

स्वामी प्रबन्धक,

दुन युधिष्ठर स्कूल देहरादून

विषय-उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपके पत्रांक शून्य दिनांक-

कृप्या उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे आपके स्कूल मे उपलब्ध अग्निशमन यंत्रा का निरीक्षण किया गया,तो निरीक्षण के समय उपलब्ध अग्निशमन यंत्र सन्तोजनक दशा में पाये गये।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन यंत्रों का त्रैमासिक,छमाही व वार्शिक निरीक्षण कर इनकी प्रविश्टि रजिस्टर मे अंकित की जाये सभी कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है।

पुनः निरीक्षण के द्वारा यदि अग्निशमन व्यवस्था सन्तोजनक नहीं पायी जाती है तो यह उत्तरदायित्व प्रबन्धन का समझा जायेगा।

उक्त शर्तों के आधार पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्रो का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि–13/10/2016 के लिये मान्य होगा।

अग्निशमन अधिकारी,
देहरादून।